न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-05/2019-20

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

लालू कामत एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24/3/21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 737/हि0शा0, दिनांक 04.04.2019) के आलोक में बथनाहा थाना काण्ड संख्या-218/18, दिनांक 04.08.2018 धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त ग्लैमर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR39H-4796 एवं BR38M-1107 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। वाहन मालिक श्री लालू कामत, पिता-जीवछ कामत, सा0-भवानीपुर, वार्ड नं0 12, थाना-जोगबनी (बथनाहा), जिला-अररिया एवं श्री नीरज कुमार साह, पिता-गंगा साह, सा0-पुराना जोगबनी, जिला-अररिया को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.08.2018 को बथनाह, वार्ड नं0 14, मध्य विद्यालय, बथनाहा के समीप थाना के रिजर्व गार्ड के हवलदार मो0 मुमताज खाँ, सिपाही 304 दमोदर सिंह, सिपाही 284 प्रभाष कुमार के साथ समय 11:30 बजे दिवा गस्ती में थे। दिवा गस्ती के दौरान सूचना मिली की बथनाहा वार्ड नं0 14 में दो व्यक्ति मोटर साईकिल पर अलग-अलग सवार होकर शराब ले जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु सशस्त्र बल के साथ वहाँ समय करीब 14:30 बजे अपराह्न में बथनाहा, वार्ड नं0 14, मध्य विद्यालय के समीप पहुँचा। पुलिस बल को देख अपनी-अपनी मोटर साईकिल छोड़कर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर आपको पकड़ा गया। लालू कामत के पास काला रंग का हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं0 BR39H-4796 एवं नीरज कुमार साह के साथ काला रंग का होण्डा मोटरसाईकिल नं0 BR38M-1107 को दो स्वतंत्र साक्षी 1. अखिलेश मंडल, पिता-केलु मंडल, थाना-जोगबनी (बथनाहा), जिला-अररिया एवं 2. धरम दास, पिता-उपेन्द्र दास, सा0-बथनाहा, वार्ड नं0 14, थाना-जोगबनी(बथनाहा), जिला-अररिया के समक्ष तलाशी ली गयी तो मोटर साईकिल सं0 BR39H-4796 की डिक्की में 30(तीस) बोतल नेपाली उमंगा शराब एवं मोटर साईकिल सं0 BR38M-1107 में काला बैग में लटकाया हुआ जिसमें भी 30(तीस) नेपाली उमंगा शराब प्रत्येक बोतल 300 एम0एल0 जब्त किया गया। दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष तलाशी के उपरांत विधिवत जब्ती सूची तैयार किया गया तथा दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR39H-4796 एवं BR38M-1107 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनसार बथनाहा थाना	

काण्ड संख्या-218/18, दिनांक 04.08.2018 में जब्त मोटर साईकिल **पंजियन सं0-BR39H-4796 एवं BR38M-1107 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 28 ...... अररिया, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया